

# न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या  
11/10/2023

रजि० नं० 2023/  
2023/246

प्रवेश तिथि  
30.10.2023

निर्णय दिनांक  
13.11.2024

1- सुब्बन पुत्र निजरू जाति मेव निवासी ग्राम फुल्लावास तहसील तिजारा जिला खैरथल - तिजारा  
(राजस्थान)

अपीलान्त

बनाम

1- तहसीलदार तिजारा जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान)



रेस्पॉडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा तहसीलदार तिजारा नामान्तकरण संख्या 147 दिनांक 22.02.1990 ग्राम फुल्लावास तहसील तिजारा जिला खैरथल-तिजारा। (राजस्थान)

उपस्थित-

श्री मौहम्मद शफीर

-वकील अपीलान्त

:-निर्णय:-

अपीलान्त ने यह अपील तहसीलदार तिजारा के नामान्तकरण संख्या 147 निर्णय दिनांक 22.02.1990 ग्राम फुल्लावास तहसील तिजारा जिला खैरथल-तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पॉडेन्ट को जर्ने नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्तान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि आराजी खसरा न० 408 किस्म बंजड सिवायचक लगानी (काबिल काश्त) कस्टोडियन भूमि ग्राम फुल्लावास तहसील तिजारा में स्थित है, जिसका मूल रकबा 06 बीघा 17 बिस्वा था। उक्त आराजी में से 1 बीघा आराजी अपीलान्त को दिनांक 20.02.1990 को तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर तिजारा द्वारा कीमतन अलॉट की गयी। अपीलान्त द्वारा एकमुश्त कीमत मय ब्याज जमा की गयी जिसके बाद लॉटमेंट उक्त 1 बीघा आराजी सीधे खातेदारी अपीलान्त को जरिये नामान्तकरण संख्या 147 दिनांक 20.02.1990 के द्वारा प्रदान की गई थी तथा स्वीकृतशुदा नामान्तकरण का नोट भी जमाबन्दी संवत् 2045-2048 में लगा दिया गया था। उपरोक्त नामान्तकरण का नोट जमाबन्दी संवत् 2045-2048 में लगा दिये जाने के बाद अपीलान्त निश्चित हो गया तथा इस विश्वास में था की अपीलान्त का नाम कागजात माल में दर्ज चला आ रहा है, अपीलान्त के नाम स्वीकृतशुदा नामान्तकरण संख्या 147 जिसका कि नोट जमाबन्दी संवत् 2045-2048 में लगा दिया गया था, का अमल बाद में रोक दिया गया जैसा कि नामान्तकरण पर दर्ज किया हुआ है, किन्तु यह नामान्तकरण का अमल क्यों रोका गया किस आदेश के तहत रोका गया किस तारीख को रोका गया है, इसका कोई कारण, आदेश की दिनांक मोहर आदि कुछ भी अंकित नहीं है, केवल मात्र नामान्तकरण पर उपर कोने में अमल रोका गया अंकित किया हुआ है, चूंकि

श्री  
जिला कलक्टर  
खैरथल-तिजारा

नामान्तकरण तहसीलदार तिजारा द्वारा स्वीकृत किया गया था, पारित निर्णय सरासर गलत विधि विरुद्ध एवं मनमानी है, तथा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के अपीलान्त के नामान्तकरण का अमल रोका गया है, जिसका कोई विधिक आधार नहीं है। अपीलान्त को आराजी खसरा न० 408 में से 1 बीघा का आंवटन विधिवत रूप से किया गया था, जिसकी अपीलान्त ने कीमत अदा की गयी है, तथा उक्त आराजी खसरा न० 408 के सम्पूर्ण रकबे की किस्म बंजड सिवायचक लगानी है, जो कस्टोडियन भूमि है, जो कि काबिल काश्त होने के कारण नियमानुसार आंवटन की गयी है। उक्त आंवटन को आदिनाक तक किसी भी सक्षम अधिकारी व न्यायालय द्वारा खण्डित भी नहीं किया गया है, न ही अपीलान्त के खातेदारी के नामान्तकरण संख्या 147 को आदिनाक तक खण्डित किया गया है, बल्कि नामान्तकरण स्वीकृत होने के बाद इसका अमल का नोट भी एक बार जमाबन्दी संवत 2045-2048 में लगा दिया गया था। ऐसी स्थिति में नामान्तरण का अमल रोका जाना सरासर खिलाफ कानून है। विवादित आराजी की किस्म बंजड है, जो जमाबन्दी संवत 2057-2060 में मनमर्जी से बंजड सिवायचक लगानी से बिना किसी आदेश के बदल कर गै० मु० नला दर्ज कर दिया गया जो कि खिलाफ कानून है। अपीलान्त को आंवटितशुदा व खातेदारी की आराजी की किस्म आज भी बंजड व काबिल काश्त है, जिस पर अपीलान्त वक्त आंवटन से बदस्तूर मौके पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है, और मौके पर अपीलान्त ने भारी लागत लगाकर इसमें बोरिंग कराई हुई है तथा बिजली कनेक्शन भी लिया हुआ है। वर्तमान में मौके पर अपीलान्त द्वारा बोई गयी फसल खड़ी हुई है। तथा इस आराजी से किसी दीगर शख्स का कोई लेना देना किसी तरह का नहीं है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 22.02.1990 की जानकारी अपीलान्त को पूर्व में नहीं थी, सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्त दिनाक 04.02.2021 को जब पटवारी हल्का से उक्त आराजी मुतनाजा की जमाबन्दी की नकल के.सी.सी. बनवाने हेतु लेने के लिए सम्पर्क किया तो पटवारी हल्का ने बताया कि अपीलान्त को आंवटितशुदा आराजी अपीलान्त के नाम दर्ज ही नहीं है। जिस पर अपीलान्त ने उक्त नामान्तकरण एवं साबिक राजस्व रिकार्ड आदि की नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन किया जो नकले दिनाक 16.02.2021 तक प्राप्त हुयी जिस पर जानकारी की तारीख दिनाक 16.02.2021 से बिना देरी के अंदर मियाद पेश है। अपील किये जाने में हुये विलम्ब को माफ किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का पेश कर अपील अन्दर मियाद शुमार फरमायी जाकर अपील अपीलान्त स्वीकार कर तहत अदालत द्वारा अपीलान्त के स्वीकृतशुदा नामान्तकरण संख्या 147 निर्णय दिनाक 22.02.1990 ग्राम फुल्लावास का अमल कागजात माल में कराया जावे।

रेस्पोजेन्ट लेण्ड होल्डर तहसीलदार तिजारा द्वारा वक्त बहस अपील का जवाब पेश कर निवेदन किया है, कि आराजी खसरा न० 408 ग्राम फुल्लावास तहसील तिजारा मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2073-76 के दर्ज है, आराजी का रकबा 1.73 है० किस्म गैरमुमकिन नला दर्ज है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 तथा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर द्वारा पारित आदेश अब्दूल रहमान बनाम सरकार में प्रतिन्धित किस्म की आराजी है, जिस पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। नामान्तकरण संख्या 147 ग्राम फुल्लावास तहसील तिजारा पटवारी हल्का द्वारा सनद पट्टा संख्या 1247 दिनाक 20.02.1990 के आधार पर दर्ज किया गया। वर्ष 10/89 से 4/90 तक तहसील तिजारा में निष्क्रान्त (कस्टोडियन) कृषि भूमि के हुये आंवटनो में कतिपय हुई अनियमिताओ के कारण जिला कलक्टर अलवर के आदेश क्रमाक 3772 दिनाक 04.08.1990 के द्वारा ऐसे आदेश पारित किये गये की उक्त अवधि के पश्चात हुये आंवटनो के प्रचलित पट्टो का नामान्तकरण दर्ज करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की जावे। ऐसे आंवटनो की कीमत भूमि जमा करने पट्टा जारी करने राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करने सम्बन्धी कोई कार्यवाही नहीं की जावे, ऐसी भूमियो की पैमाईश इत्यादि का कार्य नहीं किया जावे। उक्त आदेशो की अक्षरशः पालना की गयी है। साथ ही निवेदन किया गया है, कि आराजी खसरा न० 408 रकबा 1.73 है०

द  
 तिजारा  
 तहसीलदार



किस्म गै0 मु0 नाला मुताबिक जमाबन्दी संवत 2073-76 राजकीय सिवायचक खाते में दर्ज है, गै0 मु0 नला किस्म की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 तथा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर द्वारा पारित आदेश उनवान अब्दूलरमान बनाम सरकार में प्रतिबन्धित किस्म की आराजी है। इस प्रकार की भूमियो पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। अपील अपीलान्त खारिज की जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलान्त व रेस्पोजेन्ट लेण्ड होल्डर तहसीलदार तिजारा की बहस पर मनन किया सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्तान ने अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 147 दिनांक 22.02.1990 ग्राम फुल्लावास तहसील तिजारा जिला खैरथल-तिजारा के विरुद्ध अपील न्यायालय को दिनांक 08.03.2021 को पेश की गयी है, जो करीब 34 वर्ष पश्चात पेश की गयी है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.02.1990 की जानकारी दिनांक 16.02.2021 को होना अंकित किया गया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न द्वष्टान्तो में मियाद के विन्दू नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलान्तान अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलान्त का मुख्य कथन है, कि विवादीत आराजी में से 1 बीघा आराजी अपीलान्त को दिनांक 20.02.1990 को तहसीलदार कम मैनेजिंग ऑफिसर तिजारा द्वारा कीमतन अलॉट की गयी। उक्त 1 बीघा आराजी सीधे खातेदारी अपीलाट को जरिये नामान्तकरण संख्या 147 दिनांक 20.02.1990 के द्वारा प्रदान की गई थी तथा स्वीकृतशुदा नामान्तकरण का नोट भी जमाबन्दी संवत 2045-2048 में लगा दिया गया था। अपीलान्त के नाम स्वीकृतशुदा नामान्तकरण संख्या 147 जिसका कि नोट जमाबन्दी संवत 2045-2048 में लगा दिया गया था, का अमल बाद में रोक दिया गया जैसा कि नामान्तकरण पर दर्ज किया हुआ है, किन्तु यह नामान्तकरण का अमल क्यों रोका गया किस आदेश के तहत रोका गया किस तारीख को रोका गया है, इसका कोई कारण, आदेश की दिनांक मोहर आदि कुछ भी अंकित नहीं है, केवल मात्र नामान्तकरण पर उपर कोने में अमल रोका गया अंकित किया हुआ है, रेस्पोजेन्ट लेण्ड होल्डर तहसीलदार तिजारा का कथन है, कि नामान्तकरण संख्या 147 ग्राम फुल्लावास तहसील तिजारा पटवारी हल्का द्वारा सनद पटटा संख्या 1247 दिनांक 20.02.1990 के आधार पर दर्ज किया गया। वर्ष 10/89 से 4/90 तक तहसील तिजारा में निष्क्रान्त (कस्टोडियन) कृषि भूमि के हुये आंवटनो में कतिपय हुई अनियमिताओ के कारण जिला कलक्टर अलवर के आदेश कंमाक 3772 दिनांक 04.08.1990 के द्वारा ऐसे आदेश पारित किये गये की उक्त अवधि के पश्चात हुये आंवटनो के प्रचलित पटटो का नामान्तकरण दर्ज करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं किये जाने तथा प्रदत्त आदेशो की अक्षरशः पालना की गयी है। साथ ही प्रकरण में वर्णित आराजी खसरा न0 408 रकबा 1.73 है0 किस्म गै0 मु0 नाला मुताबिक जमाबन्दी संवत 2073-76 राजकीय सिवायचक खाते में दर्ज है, गै0 मु0 नला किस्म की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 तथा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर द्वारा पारित आदेश उनवान अब्दूलरमान बनाम सरकार में प्रतिबन्धित किस्म की होना बताया गया है। तहत अदालत द्वारा नामान्तकरण संख्या 147 ग्राम फुल्लावास के कॉर्नर पर लिखा गया शब्द नोट अमल रोका गया आदेश की क्षैणी में नहीं आता है, तथा अमल रोका गया सक्षम अधिकारी द्वारा विधि सम्मत आदेश नहीं होने के कारण नामान्तकरण संख्या 147 ग्राम फुल्लावास तहसील तिजारा को हटाये जाने हेतु आदेशित किया जाना अपेक्षित नहीं है, लेकिन यहा यह भी उल्लेखनीय है, कि तहत अदालत द्वारा जिला कलक्टर अलवर द्वारा जारी आदेश कंमाक 3772 दिनांक 04.08.1990 की पालना में नोट अंकित किया गया है, जो न्यायोचित है। साथ ही प्रकरण में वर्णित आराजी खसरा न0 408 रकबा 1.73 है0 किस्म गै0 मु0 नाला मुताबिक जमाबन्दी संवत 2073-76 राजकीय सिवायचक खाते में दर्ज है, गै0 मु0 नला किस्म की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 तथा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर द्वारा पारित आदेश उनवान अब्दूलरमान बनाम सरकार में प्रतिबन्धित किस्म की आराजी

५

जिला कलक्टर  
खैरथल-तिजारा




है, जिस पर किसी को भी खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं। तहत अदालत द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है, अपील अपीलान्त खारिज किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त खारिज की जाती है, तहत अदालत तहसीलदार तिजारा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.02.1990 नामान्तरण संख्या 147 ग्राम फुल्लावास यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ वापिस लौटायी जावे, पत्रावली फ़ैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(किशोर कुमार)  
जिला कलक्टर  
खैरथल-तिजारा (राज०)